दिनांक 3 मार्च 2020

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

बिना अनुमति के निर्माण कार्य पर चला निगम का बुलडोजर, मोहल्ले के लोगों ने की थी निर्माण कार्य की शिकायत

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 19 शास्त्री नगर कैंप 1 साक्षरता चौक से बीएम अस्पताल जाने वाले मार्ग पर नेक्स्ट स्टेप ट्यूशन क्लास के बाजू में बिना अनुमति के निर्माण किए जाने की शिकायत शास्त्री नगर के मोहल्ले वासियों ने की थी! जिस पर आज कार्यवाही करते हुए शेड निर्माण के लिए तैयार किए गए लोहे के बड़े खंभे को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया! उड़नदस्ता एवं तोड़फोड़ दस्ता की टीम जोन आयुक्त जोन क्रमांक 2 सुनील अग्रहरि के नेतृत्व में साक्षरता चौक के पास पहुंची और निर्माणाधीन लोहे के खंभों को हटाना प्रारंभ किया! मौके पर कुछ लोगों ने शासकीय कार्य में बाधा डालने के उद्देश्य से बहस करते हुए कार्रवाई रुकवाने की कोशिश की, जिस पर निगम के अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी! सूचना के तुरंत बाद टीआई समेत पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंच गई जिसके बाद आगे की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की गई! बता दें कि शास्त्री नगर के लोगों ने लिखित में यह शिकायत की थी कि साक्षरता चौक के समीप दुकान निर्माण किया जा रहा है और उस दुकान निर्माण से संबंधित कोई भी अनुमति प्राप्त नहीं किया गया है न हीं दस्तावेज उपलब्ध है साथ ही दुकान निर्माण होने के बाद व्यवसायी द्वारा लोहे के दुकान का व्यवसाय किया जाएगा! आवाजाही एवं आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक निर्माण सहित दुर्घटना की भी आशंका शिकायत पत्र में जताई गई थी! जिस पर निगम ने संज्ञान लेते हुए आज शेड निर्माण के स्ट्रक्चर को जेसीबी के माध्यम से ढहा दिया तथा कुछ खंभों को भी जप्त किया गया! इसी मोहल्ले में सड़क बाधा करते हुए रास्ते पर ही निर्माण सामग्री रखी हुई थी , जिसके निर्माण के संबंध में जांच के लिए निर्माणकर्ता से दस्तावेज परीक्षण के लिए मांगे गए हैं , सड़क बाधा शुल्क के रूप में 1000 रुपए जुर्माना वसूला गया! कार्यवाही के दौरान सहायक अभियंता कुलदीप गुप्ता , तोड़फोड़ दस्ता के प्रभारी प्रकाश अग्रवाल, उड़नदस्ता के प्रभारी वीके सैमुअल, स्वच्छता निरीक्षक अनिल मिश्रा, अंजनी, जगनू व अन्य अधिकारी/कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे!